

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा संदन, सैक्टर-5, पंचकूला ।

सेवा में

1. रजिस्ट्रार,  
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
  2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
  3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
  4. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
  5. अराजकीय अनुदान प्राप्त, स्वपोषित डिग्री महाविद्यालयों एवं राजकीय शिक्षण  
महाविद्यालय के प्राचार्य।
- यादि क्रमांक 3/18-2008 छा0(2)  
दिनांक, पंचकूला 9.01.2014.

विषय: अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं से दाखिले के समय फीस/फण्डस न लेने बारे।  
\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 3/18-2008 छा0(2) दिनांक  
03.12.2009, 10.12.2009, 04.10.2012, 08.10.2013 एवं 06.11.2013 की निरंतरता में।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अन्तर्गत विभाग द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि प्रवेश के  
समय academic courses में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों से जरूरी फीस/फण्डस जैसे कि  
enrollment, registration fee, tuition fee, games, union, library, magazine, medical/examination  
व अन्य जरूरी फण्डस (जो संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित हैं) न लिये जाये। इसके अतिरिक्त  
Hostel से संबंधित जो भी फीस संस्था द्वारा ली जानी है वह छात्र द्वारा स्वयं वहन की जानी है,  
परन्तु Hosteller छात्रों को निम्न अनुसार maintenance allowance स्कीमानुसार दिये जायेंगे:-

	UG	PG
Hosteller	Rs. 570/- p.m. for 10 months for fresh for 12 months for renewal	Rs. 820/- p.m. for 10 months for fresh for 12 months for renewal

सभी देय भुगतान स्कीमानुसार अवार्ड रोलस प्राप्त होने पर जांच उपरान्त निदेशालय  
द्वारा reimburse किए जाएंगे। परन्तु विभाग के ध्यान में लाया गया है कि फीस/फण्डस न लेने  
बारे दिये गये आदेशों की पालना पूरी तरह से नहीं की जा रही है। अतः पुनः अनुरोध है कि  
उपरोक्त आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए अन्यथा विभाग आपकी संस्था के विरुद्ध  
अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए विवश होगा।

हरियाणा राज्य में चल रहे स्वः पोषित डिग्री कॉलेज/विश्वविद्यालयों के स्वः पोषित  
संस्थान/ शिक्षण संस्थान उक्त दिशा निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं परन्तु जिन अराजकीय  
अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों में सेल्फ फाईनान्सिंग बेसिस पर जो  
Courses चल रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। कृपया तदानुसार कार्यवाही  
करें।

उप निदेशक छात्रवृत्ति,  
कृते: महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला


MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK  
ACADEMIC BRANCH

Endst.No.AC-V/2014/660-1259

Dated: 15-01-2014

Copy of the above is forwarded to the following for information and immediate necessary action:-

- 1.
2. All the Heads of Departments/ Institutes, M.D.University, Rohtak
3. Principals of all the Colleges affiliated to M.D.University, Rohtak
4. The Director, Computer Centre, M.D.University, Rohtak with the request to upload the above information  
on the University website.
5. The Finance Officer, M.D.University, Rohtak
6. The Liaison Officer (SC/ST Cell), M.D.University, Rohtak
7. Superintendent Incharge (R&S), M.D.University, Rohtak

  
R/11/14